	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 13, गुरूवार, शाके 1947- दिसम्बर 04, 2025 Agrahayana 13, Thursday, Saka 1947- December 04, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2025

संख्या प.9(80)राज-1/2025-27360:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, **जालोर** से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जालोर जिले की तहसील सांचौर** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र.सं.	**जिला / तहसील**	**ग्राम पंचायत / पंचायत समिति**	**मूल राजस्व ग्राम का विवरण**			**नवीन राजस्व ग्राम का विवरण**			**दूरी KM**	**शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण**	
			ग्राम का नाम	**क्षेत्रफल (है. में)**	**जन संख्या 2011**	**ग्राम का नाम**	**क्षेत्रफल (है. में)**	**जन संख्या 2011**		**क्षेत्र फल (है. में)**	**जन संख्या 2011**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जालोर / सांचौर	करावडी / सांचौर	**मालियों की ढ़ाणी** LG Code 89673	457.39	1404	**श्री जम्भेश्वर नगर** Shri Jambheshwar Nagar	**105.2017**	**254**	**2**	**105.2017**	**1150**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला

कलक्टर, जालोर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।